



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.1/ए.पी.ओ/पदस्थापन/2022/ 3884

जयपुर दिनांक- 14/09/2022

:- आदेश :-

निम्नलिखित अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री)	पदनाम	कहां से	कहां को
1.	शिवलाल विश्नोई	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर से	पं.स. खाजूवाला जिला बीकानेर
2.	जगदीश कुमार चौधरी	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. खाजूवाला जिला बीकानेर	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर
3.	इन्द्रपाल नायक	कनिष्ठ अभियन्ता	पं.स. भीम जिला राजसमन्द	पं.स. कोलायत जिला बीकानेर
4.	मुकेश कुमार बडजात्या	सहायक अभियन्ता	पं.स. जमवारामगढ जिला जयपुर	पं.स.बस्सी जिला जयपुर
5.	ओम प्रकाश गुप्ता	सहायक अभियन्ता	पं.स. टोडारायसिंह जिला टोंक	पं.स.बस्सी जिला जयपुर
6.	ओम प्रकाश देवनानी	सहायक अभियन्ता	पं.स.बस्सी जिला जयपुर	पं.स. टोडारायसिंह जिला टोंक

उपरोक्त आदेशों की पालना में यदि किसी स्थान पर स्वीकृत पदों से अधिक सहायक अभियन्ता कार्यरत हो गये हो, तो नवपदस्थापित अभियन्ता को कार्यग्रहण करवाकर 3 दिवस में विभाग को पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करावें। यदि किसी अभियन्ता द्वारा कार्यग्रहण करने में विलम्ब किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय परिपत्र कमांक 1346 दिनांक 14.9.2020 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। उक्त आदेशों की पालना तत्काल सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त अभियन्ताओं को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

97

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. जिला कलक्टर, सम्बन्धित।
9. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बन्धित।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
11. ए.सी.पी., मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बन्धित अभियन्ता को पालनार्थ।
13. आदेश पत्रावली।

97

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)